[2022] 11 एस.सी.आर.102

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड एवं अन्य

बनाम

अदानी पावर (मुंद्रा) लिमिटेड एवं अन्य

सिविल अपील संख्या 7129/2021

24 अगस्त 2022

एन. वी. रमन्ना, सी.जे.आई. कृष्णा मुरारी, हीमा कोहली, न्यायाधीशगण

द्वारा न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

हीमा कोहली, न्यायाधीश

1. अपीलकर्ता विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली1 द्वारा पारित 12 अगस्त, 2021 के फैसले और आदेश से व्यथित हैं, जिसमें उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर (मुंद्रा) लिमिटेड 2 द्वारा दायर 28 मार्च, 2018 (याचिका क्रमांक 104/एमपी/2017 में) एवं केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 06 जून, 2019 (याचिका क्रमांक 214/एमपी/2018 में) के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति दी गई है।

2. शुरुआत में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान अपील का दायरा उत्तरवादी संख्या 1 – अदानी पावर के पक्ष में उस तारीख से चक्रवृद्धि के आधार पर लागत ब्याज देने के अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय तक सीमित है जिस तारिख को कानून में बदलाव की घटना यानी 29 जनवरी 2014 को केंद्रीय आयोग द्वारा निर्धारित राशि के वास्तविक भुगतान की तारीख तक हुई। अलग–अलग कहा गया है, जबकि अपीलकर्ता उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर को उस तारीख से लागत वहन करने के माध्यम से ब्याज देने पर विवाद नहीं कर रहे हैं जिस दिन कानून में बदलाव की घटना हुई थी जब तक कि केंद्रीय आयोग द्वारा निर्धारित राशि का वास्तविक भुगतान नहीं हो जाता। उनकी शिकायत यह है कि अपीलीय न्यायाधिकरण ने न केवल साधारण ब्याज के आधार पर लागत वहन करने की अनुमति दी है, बल्कि वहन लागत पर ब्याज लगाया है या जिसे आमतौर पर वहन लागत पर ब्याज (चक्रवृद्धि ब्याज) के रूप में जाना जाता है।

3. उपरोक्त विवाद को प्रासंगिक बनाने के लिए, मामले के प्रासंगिक तथ्यों की एक संक्षिप्त रूपरेखा रेखांकित की जा सकती है। उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर एक बिजली उत्पादन कंपनी है जिसने गुजरात के मुंद्रा में 4620 मेगावाट (330 मेगावाट की चार इकाइयां और 660 मेगावाट की पांच इकाइयां शामिल) कोयला आधारित बिजली संयंत्र स्थापित किया है। अपीलकर्ता वितरण लाइसेंसधारी हैं जो हरियाणा राज्य में उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। 07 अगस्त, 2008 को अपीलकर्ताओं ने उत्तरवादी नंबर 1 के साथ दो बिजली खरीद समझौतों में प्रवेश किया – अदानी पावर फॉर 4 संक्षेप में 'पीपीए' सिविल अपील नंबर 7129 2021 में उत्पादन इकाइयों 7, 8 से 1424 मेगावाट की अनुबंधित क्षमता की खरीद। और 9 मुंद्रा, गुजरात में स्थापित किये गये। वर्ष 2010 में, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत संघ द्वारा दी गई पर्यावरण मंजूरी दिनांक 20 मई, 2010 के कारण, उत्तरवादी नंबर 1 के रूप में कानून में बदलाव की घटना हुई – अदानी पावर को अतिरिक्त खर्च करना पड़ा फ़्लू गैस डीसल्फराइज़ेशन 5 यूनिट स्थापित करने की लागत। 17 जुलाई, 2014 को, उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर ने एफजीडी की स्थापना सहित कानून में कुछ बदलाव की घटनाओं के कारण मुआवजे के फैसले के लिए केंद्रीय आयोग के समक्ष एक याचिका दायर की। दिनांक 06 फरवरी, 2017 के आदेश द्वारा, केंद्रीय आयोग ने केवल कानून में कुछ बदलाव की घटनाओं के लिए मुआवजे की अनुमति दी, लेकिन उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर द्वारा उठाए गए लागत के दावे को

अस्वीकार कर दिया। हालाँकि, उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर को आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों के साथ FGD दावे के लिए केंद्रीय आयोग के समक्ष एक अलग याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

4. केंद्रीय आयोग द्वारा पारित दिनांक 06 फरवरी, 2017 के आदेश से व्यथित होकर, यहां दोनों अपीलकर्ताओं और उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर ने अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील की। अपीलकर्ताओं द्वारा अपनी अपील में उठाई गई सीमित शिकायत विशेष 5 से हटाए गए बिजली पर सीमा शुल्क लगाने के संबंध में उत्तरवादी संख्या 1 – अदानी पावर के दावे से संबंधित मुद्दे से संबंधित थी, संक्षेप में 'एफजीडी' सिविल अपील संख्या । 2021 का 7129 आर्थिक क्षेत्र (SEZ) से घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA)। अपनी अपील में, उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर ने लागत वहन करने के अपने दावे की अस्वीकृति को चुनौती दी। उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर ने भी एफजीडी की स्थापना के कारण राहत का दावा करने के लिए उसे दी गई स्वतंत्रता के संदर्भ में केंद्रीय आयोग के समक्ष एक अलग याचिका दायर की थी, जिसका अपीलकर्ताओं ने विरोध किया था। 28 मार्च, 2018 को, केंद्रीय आयोग ने उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर द्वारा प्रस्तुत अलग याचिका पर एक आदेश पारित किया, जिसमें एफजीडी की स्थापना से संबंधित कानून में बदलाव की घटना के कारण मुआवजे की अनुमति दी गई और साथ ही, लागत वहन करने का इसका दावा अस्वीकार कर दिया गया।

5. उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर द्वारा दायर एक अन्य याचिका में, केंद्रीय आयोग ने 17 सितंबर, 2018 को एक आदेश पारित किया, जिसमें अपील संख्या 210/2017 में पारित किया गया 13 अप्रैल 2018, के फैसले के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में अपने पक्ष में लागत वहन करने की अनुमति दी गई। प्रासंगिक रूप से, अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 13 अप्रैल, 2018 का निर्णय उन्हीं पक्षों के बीच था जो हमारे सामने मौजूद हैं और अपीलकर्ताओं द्वारा सिविल अपील क्रमांक 5865/2018 एवं 6190/2018 में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। उक्त अपीलें दिनांक 25 फरवरी, 20196 के निर्णय द्वारा खारिज कर दी गईं, जिसमें यह माना गया था कि बिजली उत्पादन कंपनी 6 तारीख से पुनर्स्थापन सिद्धांतों पर लागत वहन करने की हकदार होगी (2019) 5 एससीसी 325 सिविल अपील संख्या के रूप में रिपोर्ट की गई । 2021 का 7129 कानून में बदलाव की घटना, ताकि प्रभावित पक्ष को उसी आर्थिक स्थिति में लाया जा सके जैसे कि कानून में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ हो। उक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, पार्टियों को नियंत्रित करने वाले पीपीए के अनुच्छेद 13.2 पर भरोसा किया गया था जिसमें एक अंतर्निहित पुनर्स्थापन सिद्धांत शामिल है जो कानून में ऐसे बदलाव से प्रभावित पार्टी को मुआवजा देता है।

6. उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर ने केंद्रीय आयोग द्वारा पारित आदेश की एक प्रति के साथ अपीलीय न्यायाधिकरण से संपर्क किया, जिसमें एफजीडी की स्थापना के लिए कानून में बदलाव की राहत की अनुमति दी गई, लेकिन लागत वहन करने की राहत की अनुमति नहीं दी गई और प्रार्थना की गई कि वहन लागत कानून में बदलाव की अन्य घटनाओं के साथ–साथ एफजीडी की स्थापना से संबंधित कानून में बदलाव की तारीख से इसके पक्ष में अनुमति दी जानी चाहिए थी। 12 अगस्त, 2021 के आक्षेपित निर्णय द्वारा, अपीलीय न्यायाधिकरण ने न केवल यह माना है कि उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर केंद्रीय आयोग द्वारा अनुमोदित एफजीडी स्थापना के लिए कानून में बदलाव की घटनाओं के मुआवजे के संबंध में लागत वहन करने का हकदार है। कानून में बदलाव की तारीख से गणना करते हुए, इसने उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर को वहन लागत पर ब्याज का हकदार माना है। उक्त निष्कर्ष से व्यथित होकर, अपीलकर्ता इस न्यायालय के समक्ष हैं।

7. अपीलकर्ताओं के लिए अपील करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एमजी रामचंद्रन ने यह कहते हुए अपनी दलीलें शुरू कीं कि अपीलकर्ता 2021 की सिविल अपील संख्या 7129 के तहत केंद्रीय

आयोग द्वारा राशि निर्धारित करने की तारीख तक मूल राशि की देरी से वसूली के कारण कानून में बदलाव की तारीख से लागत वहन करके ब्याज देने पर विवाद नहीं करते हैं।। अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई गई एकमात्र शिकायत यह है कि वे उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर को लागत ब्याज के रूप में किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। यह तर्क दिया गया है कि अपीलकर्ताओं द्वारा उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर को केवल साधारण ब्याज देय है, इस कारण से कि कोई गलत काम / डिफ़ॉल्ट / अन्यायपूर्ण संवर्धन नहीं है जो कि निर्धारण में हुई देरी के लिए अपीलकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। केंद्रीय आयोग/अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा राशि; दिनांक 07 अगस्त, 2008 के पीपीए में उस अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के भुगतान के लिए कोई शर्त नहीं है, जब कानून में बदलाव की घटना हुई थी, यानी 29 जनवरी, 2014 से लेकर केंद्रीय आयोग द्वारा दावे के फैसले की तारीख तक। पीपीए के अनुच्छेद 11.8.1 (iii) के संदर्भ में उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर द्वारा पूरक विधेयक उठाना ; इसके विपरीत, विलंब भुगतान अधिभार पर मासिक/पूरक बिल जारी करने के बाद भुगतान करने में अपीलकर्ताओं की ओर से देरी के लिए पीपीए यानी अनुच्छेद 11.3.4 आर/डब्ल्यू अनुच्छेद 11.8.3 में विशिष्ट प्रावधान हैं। (एलपीएस) दर जो चक्रवृद्धि आधार पर है; विद्युत अधिनियम , 2003 या उसमें बनाए गए प्रासंगिक सिविल अपील संख्या 7129 के 2021 के नियमों/विनियमों में, जैसा कि प्रासंगिक समय पर लागू होता है, कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है , जो वहन लागत के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के भुगतान की अनुमति देता है।

8. अपीलकर्ताओं की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि यद्यपि ब्याज अधिनियम , 1978 के तहत ब्याज पर ब्याज निर्धारित है, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत किए गए अपवाद तत्काल मामले के तथ्यों को कवर नहीं करते हैं क्योंकि अपीलकर्ताओं ने केंद्रीय आयोग द्वारा निर्धारण पर और उस पर उठाए गए पूरक विधेयक को मंजूरी देने के लिए निर्धारित समय के भीतर उत्तरवादी नंबर 1– अदानी पावर को राशि का विधिवत भुगतान किया गया। यह प्रचारित किया गया कि उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर अपीलकर्ताओं पर एक पूरक विधेयक लाने का हकदार तभी बन गया जब केंद्रीय आयोग ने कानून में बदलाव के प्रभाव के रूप में देय राशि निर्धारित की। उक्त अनुपूरक विधेयक अनुच्छेद 11.8.1 (iii) के तहत उठाया गया था और पीपीए के अनुच्छेद 11.8.2 के संदर्भ में 30 दिनों के भीतर देय था । यह तर्क देते हुए कि अनुपूरक विधेयक में वहन लागत शामिल हो सकती है यदि पीपीए के अनुच्छेद 13 के तहत पुनर्स्थापन प्रावधान है और यदि कोई पुनर्स्थापन प्रावधान नहीं है, तो अनुपूरक विधेयक में वहन लागत भी शामिल नहीं हो सकती है।

9. अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने हमें सूचित किया कि 12 अगस्त, 2021 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के पारित होने के अनुसार, जब अपीलीय न्यायाधिकरण ने माना कि उत्तरवादी संख्या 1– अदानी सिविल अपील संख्या 7129 ऑफ़ 2021 पावर ले जाने का हकदार है चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर लागत और गणना के लिए मामले को केंद्रीय आयोग को वापस भेज दिया गया, केंद्रीय आयोग ने 23 अक्टूबर, 2021 को एक आदेश पारित किया था, जिसमें वहन लागत की गणना के लिए पद्धति का निर्धारण किया गया था। उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर ने अपीलकर्ताओं पर 13 नवंबर, 2021 को एक अनुपूरक विधेयक पेश किया था, जिसका भुगतान अपीलकर्ताओं ने अपने अधिकारों और तर्कों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया था, जैसा कि वर्तमान अपील में उठाया गया है। चूंकि 13 नवंबर, 2021 के पूरक विधेयक की नियत तारीख से लगभग दो महीने की देरी हुई थी, अपीलकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने देरी की उक्त अवधि के लिए विलंबित भुगतान अधिभार का भुगतान किया है। इस दलील के समर्थन में कि जब चक्रवृद्धि ब्याज किसी क़ानून में निर्दिष्ट नहीं है, तो देय ब्याज को साधारण ब्याज के आधार पर माना जाना चाहिए, न कि चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर, प्रिया वर्त और अन्य बनाम भारत संघ 7 में निर्णय का हवाला दिया गया है । .

10. अपीलकर्ताओं की ओर से दी गई दलीलों को खारिज करते हुए, उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने पहले उदाहरण में, वर्तमान अपील की

स्थिरता को यह कहते हुए चुनौती दी है कि इसे विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 125 जो 2021 की संक्षिप्त 'सीपीसी' सिविल अपील संख्या 7129 के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता 8 और संख्या 7 (1995) 5 एससीसी 437 8 की धारा 100 के तहत उपलब्ध आधारों के समान आधार लेने की अनुमति देती है इसी के तहत दायर किया गया है। । वर्तमान अपील में कानून का प्रश्न नहीं उठाया गया है जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारण की आवश्यकता है। योग्यता के आधार पर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय में दिए गए निष्कर्षों का समर्थन किया है और प्रस्तुत किया है कि यह किसी भी हस्तक्षेप के लायक नहीं है क्योंकि इसने केवल इस न्यायालय द्वारा 25 फरवरी, 20196 के फैसले में निर्धारित कानून का पालन किया है, जो लिस के समान पक्षों के बीच निर्णय लिया गया था।। मौजूदा मामले में तारीखों और घटनाओं के कालक्रम का हवाला देते हुए, यह प्रस्तुत किया गया कि स्वीकार्य रूप से, कानून में बदलाव की घटना तब हुई थी जब उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर को वर्ष 2014 में एफजीडी स्थापित करना था। उत्तरवादी नंबर 1 – द्वारा उठाया गया दावा एफजीडी की स्थापना के लिए अदानी पावर का निर्णय अंततः केंद्रीय आयोग द्वारा वर्ष 2018 में ही लिया गया, जब कानून में बदलाव की घटना के कारण लागत मुआवजे को इसके पक्ष में ले जाने की अनुमति दी गई थी। हालाँकि, वहन लागत को केवल निर्णय की तारीख से अनुमोदित किया गया था, न कि 2014 और 2018 के बीच की अवधि के लिए, जबकि उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर वर्ष 2014 से ही लागत वहन करने का हकदार था, जब उसे भारी निवेश की आवश्यकता थी एफजीडी की स्थापना के लिए राशि पीपीए के अनुच्छेद 13.2 और 13.4 का संदर्भ दिया गया था जो एक अंतर्निहित पुनर्स्थापन सिद्धांत प्रदान करता है और मानता है कि मुआवजे का भुगतान कानून में बदलाव की घटनाओं की घटना की तारीख से किया जाना चाहिए। पीपीए के अनुच्छेद 11.3.4 को इस दलील के समर्थन में उद्धृत किया गया था कि 2021 की सिविल अपील संख्या 7129 में निर्धारित तरीके से विलंबित भुगतान के लिए चक्रवृद्धि ब्याज देय है और चूंकि अपीलकर्ता विलंबित भुगतान के लिए चक्रवृद्धि आधार पर ब्याज का भुगतान करने के लिए सहमत हुए थे, इसलिए वही सिद्धांत वहन लागत के लिए भी लागू होगा, क्योंकि वहन लागत और देर से भुगतान अधिभार दोनों को पैसे के समय मूल्य में शामिल किया जाना है।

11. भारतीय रिज़र्व बैंक के 14 अगस्त, 2003 और 03 मार्च, 2016 के परिपत्रों का हवाला देते हुए, जो उधारकर्ता को चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर ऋणदाता को ब्याज का भुगतान करने का प्रावधान करता है, यह उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर की ओर से प्रस्तुत किया गया था , कि एफजीडी स्थापित करने के लिए बैंकों से पैसा उधार लिया और उधार ली गई राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया, यह केवल इसके द्वारा किए गए ब्याज के लिए क्षतिपूर्ति की मांग कर रहा था और उसी दर पर बैंकों को भुगतान किया गया था और यह अन्याय का मामला नहीं था संवर्धन. इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि, चूंकि तत्काल मामले में मुकदमा वर्ष 2014 में शुरू हुआ था और इसे समाप्त होने में सात साल लग गए, उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर चक्रवृद्धि आधार पर लागत और उस पर ब्याज वहन करने का हकदार है। कानून में बदलाव की घटना की तारीख, सख्ती से पीपीए और उस मुद्दे पर कानून के संदर्भ में जो इस न्यायालय द्वारा पहले ही प्रतिपादित किया जा चुका है।

12. हमने पक्षों के वकील द्वारा दी गई दलीलें सुनी हैं और पीपीए के प्रासंगिक प्रावधानों का अध्ययन किया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ताओं ने उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर को 2021 की सिविल अपील संख्या 7129 ब्याज देने के संबंध में उस तारीख से लागत वहन करने के संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया है, जिस दिन कानून में बदलाव की घटना हुई थी। केंद्रीय आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक 28 मार्च, 2018 के संदर्भ में उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर को देय राशि निर्धारित की गई थी। एकमात्र मुद्दा जो हमारे विचार के लिए उठा है वह यह है कि क्या अपीलकर्ता वहन लागत पर साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

13. हमारे सामने उद्धृत पीपीए के प्रासंगिक लेख अनुच्छेद 11 हैं , जो बिलिंग और भुगतान से संबंधित हैं और अनुच्छेद 13 , जो कानून में बदलाव से संबंधित हैं। हम विशेष रूप से अनुच्छेद 11.3.4, 11.8.1 और 11.8.3 को लेकर चिंतित हैं जिन्हें अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत किया गया है ताकि आग्रह किया जा सके कि अपीलकर्ताओं (खरीदार) द्वारा उत्तरवादी संख्या 1 – अदानी पावर (विक्रेता) अनुच्छेद 11.3.4 में उल्लिखित दर पर , लेकिन उससे अधिक नहीं को केवल विलंबित भुगतान अधिभार (एलपीएस) देय है। . तैयार संदर्भ के प्रयोजनों के लिए, हम नीचे दिए गए अनुच्छेद 11.3.4, 11.8.1 और 11.8.3 को इस प्रकार निकाल सकते हैं:

"11 अनुच्छेद 11: बिलिंग और भुगतान

xxx xxx xxx

11.3 मासिक बिलों का भुगतान

xxx xxx xxx

11.3.4 किसी खरीददार द्वारा मासिक बिल के भुगतान में उसकी नियत तारीख से अधिक देरी की स्थिति में, देर से भुगतान अधिभार देय होगा विलंब के प्रत्येक दिन के लिए, विक्रेता को प्रति वर्ष लागू एसबीएआर से दो (2) प्रतिशत अधिक की दर से, बकाया भुगतान की राशि पर, दिन–प्रतिदिन के आधार पर गणना की जाती है (और मासिक आराम के साथ संयोजित किया जाता है)। . 2021 की सिविल अपील संख्या 7129

xxx xxx xxx

11.8 अनुपूरक बिल का भुगतान

11.8.1 कोई भी पक्ष निम्नलिखित के भुगतान के लिए दूसरे पक्ष ("अनुपूरक बिल") पर बिल उठा सकता है:

i. क्षेत्रीय ऊर्जा खाते द्वारा आवश्यक समायोजन (यदि लागू हो);

ii. अनुसूची–5 के प्रावधानों के अनुसार मापदंडों में बदलाव के लिए टैरिफ भुगतान; या

iii. अनुच्छेद 13 में दिए गए अनुसार कानून में बदलाव और ऐसे विधेयक का भुगतान दूसरे पक्ष द्वारा किया जाएगा।

xxx xxx xxx

11.8.3 किसी भी पक्ष द्वारा पूरक बिल के भुगतान में बिलिंग की तारीख से एक महीने से अधिक की देरी की स्थिति में, अनुच्छेद 11.3.4 में मासिक बिल पर लागू समान शर्तों पर देर से भुगतान अधिभार देय होगा । "

14. उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर ने पीपीए के अनुच्छेद 13.2 और 13.4 पर भरोसा किया है जो यहां नीचे दिए गए हैं:

"13 अनुच्छेद 13 कानून में बदलाव

xxx xxx xxx

13.2 कानून में बदलाव के प्रभाव की गणना के लिए आवेदन और सिद्धांत

इस अनुच्छेद 13 के तहत कानून में बदलाव के परिणाम का निर्धारण करते समय , पार्टियों को इस सिद्धांत का उचित ध्यान रखना होगा कि पार्टी को मुआवजा देने का उद्देश्य कानून में इस तरह के बदलाव से प्रभावित, इस अनुच्छेद 13 में अपेक्षित सीमा तक, मासिक टैरिफ भुगतान के माध्यम से प्रभावित पक्ष को उसी आर्थिक स्थिति में बहाल करना है जैसे कि कानून में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है।

क) निर्माण अवधि
कानून में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप, टैरिफ में परियोजना की पूंजीगत लागत में वृद्धि/कमी का प्रभाव नीचे दिए गए सूत्र द्वारा नियंत्रित किया जाएगा:
इस समझौते की अवधि के दौरान पूंजीगत लागत में अनुबंधित क्षमता के प्रत्येक संचयी वृद्धि/कमी के लिए 8,90.000.00 (केवल आठ करोड़ नब्बे लाख रुपये) रुपये, उद्धृत क्षमता शुल्क में वृद्धि/कमी शून्य दशमलव दो दो सात (0.227) के उद्धृत क्षमता शुल्क के बराबर राशि होगी । बशर्ते कि विक्रेता कानून में ऐसे बदलाव के प्रभाव को स्थापित करने के लिए खरीददार को 2021 की सिविल अपील संख्या 7129 के पूंजीगत लागत में वृद्धि/कमी का दस्तावेजी प्रमाण प्रदान करे । विवाद की स्थिति में अनुच्छेद 17 लागू होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त मुआवजा किसी भी पक्ष को केवल उस तिथि से देय होगा जिस दिन कुल वृद्धि/कमी 8,90,000,00 (रुपये आठ करोड़ नब्बे लाख मात्र) रुपये से अधिक हो।

बी) संचालन अवधि
कानून में बदलाव के परिणामस्वरूप, विक्रेता को राजस्व या लागत में किसी भी वृद्धि/कमी के लिए मुआवजा निर्धारित किया जाएगा और उचित आयोग द्वारा तय की गई तारीख से प्रभावी होगा, जिसका निर्णय अंतिम और दोनों पार्टियों पर बाध्यकारी होगा, लागू कानून के तहत प्रदान किए गए अपील के अधिकारों के अधीन।

बशर्ते कि उपर्युक्त मुआवजा केवल तभी देय होगा जब विक्रेता के राजस्व या लागत में वृद्धि/कमी अनुबंध वर्ष के लिए कुल मिलाकर क्रेडिट पत्र के 1% के बराबर राशि से अधिक हो।

xxx xxx xxx

13.4 कानून में बदलाव के कारण टैरिफ समायोजन भुगतान
13.4.1 अनुच्छेद 13.2 के अधीन , मासिक टैरिफ भुगतान में समायोजन इस प्रकार प्रभावी होगा:

(i) गोद लेने, प्रख्यापन, संशोधन की तारीख; कानून का पुनः अधिनियमन या निरसन या कानून में परिवर्तन; या

(ii) सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण या भारतीय सरकारी साधन के आदेश/निर्णय की तारीख, यदि कानून में परिवर्तन कानून की व्याख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है।

13.4.2 कानून में बदलाव के लिए भुगतान अनुपूरक बिल के माध्यम से होगा जैसा कि अनुच्छेद 11.8 में बताया गया है। हालाँकि, कानून में बदलाव के कारण टैरिफ में किसी भी बदलाव के मामले में, जैसा कि इस समझौते के अनुसार निर्धारित किया गया है, टैरिफ में ऐसे बदलाव के बाद विक्रेता द्वारा उठाया जाने वाला मासिक चालान उचित रूप से बदले हुए टैरिफ को प्रतिबिंबित करेगा।

15. इस न्यायालय द्वारा 25 फरवरी, 2019 को तय किए गए समान पक्षों के बीच पिछले मुकदमे में अनुच्छेद 13 पर विस्तृत चर्चा की गई है। प्रोलिक्स के बिना, हम प्रासंगिक पैरा नीचे निकाल सकते हैं: –
" 13 । इसलिए, अनुच्छेद 13 को समग्र रूप से पढ़ने से यह स्थिति सामने आती है कि अनुच्छेद 13.2 में निहित पुनर्स्थापनात्मक सिद्धांतों के अधीन , मासिक टैरिफ भुगतान में समायोजन, वर्तमान मामले के तथ्यों में छूट जो प्रशासनिक आदेश दिनांक 06.04.2015 एवं 16.02.2016 द्वारा की गई थी, वापसी की तारीख से होना चाहिए। । इसलिए, वर्तमान मामला अनुच्छेद 13.4.1(i) के अंतर्गत

आता है। इस मामले में, यह स्पष्ट है कि मासिक टैरिफ भुगतान में समायोजन उस तारीख से प्रभावी होना चाहिए जिस दिन दी गई छूट वापस ले ली गई थी। ऐसा होने पर, टैरिफ में इस तरह के बदलाव के बाद विक्रेता द्वारा मासिक चालान उचित रूप से बदले गए टैरिफ को प्रतिबिंबित करने के लिए होंगे। वर्तमान मामले के तथ्यों पर, यह स्पष्ट है कि उत्तरदाता उस तारीख से अपने मासिक टैरिफ भुगतान में समायोजन के हकदार थे जिस दिन छूट अधिसूचनाएं प्रभावी हुईं। यह मामला होने पर, अनुच्छेद 13.2 में निहित पुनर्स्थापन सिद्धांत इस सरल कारण से लागू होगा कि यह केवल 04.05.2017 के आदेश के बाद है कि सीईआरसी ने माना कि उत्तरदाता कानून में बदलाव इस तिथि से 01.04.2015 के कारण अतिरिक्त लागत का दावा करने के हकदार थे।. ऐसा होने पर, यह कहना गलत होगा कि उत्तरदाता पीपीए के बाहर इक्विटी के कुछ सामान्य सिद्धांत पर इस क्षतिपूर्ति राशि का दावा करेंगे। चूँकि यह स्पष्ट है कि वहन लागत की यह राशि केवल पीपीए के अनुच्छेद 13 से संबंधित है , हमें अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

14. अब हम दोनों पक्षों की ओर से विद्वान वकील द्वारा उद्धृत कुछ निर्णयों पर आते हैं। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य ["साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स"] में, इस न्यायालय ने माना कि ब्याज कुछ परिस्थितियों में इक्विटी में देय है और अंततः निष्कर्ष निकाला: (एससीसी पी. 662, पैरा24)

"24. इसलिए, हमारी राय है कि कानून में या दोनों पक्षों के बीच हुए अनुबंध में किसी निषेध के अभाव में, ऐसा कोई कारण नहीं है कि कोलफील्ड्स को उस अवधि के लिए ब्याज उपभोक्ताओं/खरीदारों ने बढ़ी हुई रॉयल्टी की राशि का भुगतान नहीं किया, जो उस अवधि के लिए खनिज की कीमत का एक घटक हिस्सा है, जिसके लिए इसका भुगतान नहीं किया गया था ,का भुगतान करके मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिए। । ब्याज देने का औचित्य इस महत्वपूर्ण कारक से पुष्ट होता है कि कोलफील्ड्स स्वयं ऐसी राशि पर राज्य को ब्याज देने के लिए बाध्य हैं। यह मानना न्याय का मखौल होगा कि कोलफील्ड्स को राज्य को ब्याज की राशि का भुगतान करना होगा, लेकिन जिन उपभोक्ताओं/खरीदारों के हाथों में पैसा वास्तव में रोका गया था, उन्हें ब्याज का भुगतान करने के दायित्व से मुक्त कर दिया गया।"
श्री गिरि द्वारा तर्क दिया गया था कि यह निर्णय पीपीए के अनुच्छेद 18.17 के मद्देनजर पीपीए के तहत उत्पन्न होने वाली तथ्य स्थितियों पर लागू नहीं किया जा सकता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विक्रेता और खरीददार का दायित्व इसमें स्पष्ट रूप से प्रदान किए समझौता तक ही सीमित होगा।, किसी भी स्थिति में, खरीदार या विक्रेता किसी भी अप्रत्यक्ष या परिणामी हानि या क्षति का दावा नहीं करेगा। चूँकि हमने पाया है कि लागत वहन करने का दावा पीपीए के अनुच्छेद 13 के तहत है, इस निर्णय का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई लागू नहीं होगा।

16. यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 13.2 में उल्लिखित पुनर्स्थापन सिद्धांत कानून में बदलाव के प्रभाव की गणना के लिए प्रभावी होंगे। हम आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं, जिसमें अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा यह माना गया है कि उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर ने लागत वहन करने के साथ–साथ एफजीडी की स्थापना के संबंध में कानून में बदलाव के मुआवजे का दावा वर्ष 2012 से करना शुरू कर दिया था और उसने इस दावे को निपटाने के लिए कई मंचों से संपर्क किया है। उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर अंततः 28 मार्च, 2018 को एफजीडी के लिए मुआवजा प्राप्त करने में सफल रहा, लेकिन वहन लागत का दावा अस्वीकार कर दिया गया। अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा 13 अप्रैल, 2018 के आदेश के तहत उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर को वहन लागत से संबंधित राहत दी गई थी, जिसका इस न्यायालय द्वारा विधिवत परीक्षण किया गया और 25 फरवरी, 2019 को बरकरार रखा गया। उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर के पक्ष में, अपीलकर्ताओं द्वारा यह आग्रह नहीं किया जा सकता है कि वहन लागत पर ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज के आधार के बजाय साधारण ब्याज के आधार पर की जानी चाहिए। वहन लागत पर चक्रवृद्धि ब्याज का

अनुदान और वह भी कानून में बदलाव की घटना के घटित होने की तारीख से, ठोस तर्क पर आधारित है। वहन लागत पर ब्याज देने के पीछे का विचार दूर–दूर तक नहीं देखा जा सकता है, इसका उद्देश्य एक ऐसी पार्टी को बहाल करना है जो कानून में बदलाव की घटना से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है और उसे उसकी मूल आर्थिक स्थिति में बहाल करती है जैसे कि कानून में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ हो।

17. वर्तमान मामले में, उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर को भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010 में दी गई पर्यावरण मंजूरी के नियमों और शर्तों के मद्देनजर एफजीडी खरीदने और इसे स्थापित करने के लिए खर्च उठाना पड़ा। इसके लिए उसे बैंकों से उधार लेकर वित्त की व्यवस्था करनी पड़ी। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपनाई जाने वाली और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित ब्याज दर रूपरेखा में कहा गया है कि सभी अग्रिमों पर मासिक आधार पर ब्याज लगाया जाएगा। मामले के इस दृष्टिकोण में, उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर का यह कहना उचित है कि यदि बैंकों ने एफजीडी खरीदने के लिए ऋण देने के लिए मासिक आधार पर ब्याज लगाया है, तो कोई भी क्षतिपूर्ति अधूरी होगी, अगर यह पूरी तरह से नहीं है इसके द्वारा बैंकों को चक्रवृद्धि आधार पर भुगतान किए गए ब्याज की भरपाई की गई। हमारी राय है कि वहन लागत पर ब्याज पैसे के लिए समय के मूल्य के अलावा और कुछ नहीं है और एकमात्र तरीका है जिससे किसी पार्टी को हर तरह से क्षतिपूर्ति का लाभ दिया जा सकता है। वर्तमान मामले के तथ्यों में, अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा वर्ष 2014 से, जब एफजीडी स्थापित किया गया था, वर्ष 2021 तक की अवधि के लिए उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर के पक्ष में वहन लागत पर ब्याज की अनुमति देना उचित था। केंद्रीय आयोग के लिए 2014 और 2018 के बीच की अवधि को बाहर करने और आदेश पारित होने की तारीख यानी 28 मार्च, 2018 से 2021 तक राहत देने का कोई औचित्य नहीं था; न ही समयसीमा के इस तरह के पृथक्करण का कोई तर्क है, खासकर जब उत्तरवादी नंबर 1 – अदानी पावर अपीलकर्ताओं पर दावा करने और उसके कानूनी उपायों को आगे बढ़ाने में तत्पर था।

18. अपीलकर्ताओं की ओर से की गई दलील से हम सहमत नहीं हैं कि चूंकि राशि के निर्धारण में हुई देरी के लिए उनकी कोई गलती नहीं है, इसलिए उन पर वहन लागत पर ब्याज का भुगतान करने का दायित्व नहीं डाला जा सकता है; न ही इस तर्क में कोई दम है कि जिस तारीख को कानून में बदलाव की घटना घटी थी, उस तारीख से चक्रवृद्धि ब्याज के भुगतान के लिए पीपीए में कोई प्रावधान नहीं है।

19. पीपीए के अनुच्छेद 13 में निहित पुनर्स्थापन सिद्धांतों की संपूर्ण अवधारणा को सही परिप्रेक्ष्य में पढ़ा जाना चाहिए। उक्त सिद्धांत जो पैसे के लिए समय के मूल्य के लिए किसी पार्टी को मुआवजा देने को नियंत्रित करता है, वही सिद्धांत है जिसे कानून में बदलाव की घटना के कारण लागत वहन करने पर ब्याज देने के लिए लागू किया जाएगा । इसलिए, अपीलकर्ताओं की ओर से अनुच्छेद 11.3.4 r/w 11.8.3 पर निर्भरता उनके मामले को आगे नहीं ले जा सकती है। न ही प्रिया वार्ता केस के निर्णय का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग है क्योंकि उक्त मामला भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मुआवजे के भुगतान और मुआवजे के विलंबित भुगतान के मामले में देय ब्याज से संबंधित है।

20. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा पारित 12 अगस्त, 2021 के आक्षेपित निर्णय और आदेश को बरकरार रखा जाता है और तदनुसार वर्तमान अपील को गुणहीन मानते हुए खारिज किया जाता है।

Dinesh Kumar Mishara